International Journal of Leading Research Publication (IJLRP)

E-ISSN: 2582-8010 ● Website: www.ijlrp.com ● Email: editor@ijlrp.com

मलिन बस्तियों में जीवन स्तर का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. मीनाक्षी मीना

सह आचार्य समाजशास्त्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजगढ़ (अलवर)

शोध सारांश

यह शोध–पत्र मलिन बस्तियों (सनउेद्ध में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक संरचना और जीवन की गुणवत्ता जैसे पहलुओं का अध्ययन किया गया है। यह भी समझने का प्रयास किया गया है कि शहरीकरण, गरीबी और सामाजिक असमानता किस प्रकार मलिन बस्तियों के निर्माण और विस्तार में भूमिका निभाते हैं।

भारत में आवास की समस्या का सबसे बड़ा दुष्परिणाम गन्दी बस्तियों के रूप में देखने को मिलता है। यह सच है कि विश्व के सभी प्रमुख नगरों में जनसंख्या का एक बड़ा भाग मलिन और घनी बस्तियों में रहता है, लेकिन भारत में गन्दी बस्तियों की समस्या कहीं अधिक गम्भीर है। इन बस्तियों की प्रकृति को इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि कुछ लोग इन्हें 'नारकीय जीवन के केन्द्र' कहते हैं, जबकि आस्कर लेविस ने इन्हें 'गरीबी और पतन की संस्कृति' के नाम से सम्बोधित किया है। अत्यधिक भीड़–भाड़, सीलन और दुर्गन्धयुक्त मकान, तंग गलियां, चारों ओर दुर्गन्धयुक्त वातावरण, नागरिक सुविधाओं का अभाव, आर्थिक तनाव, मादक पदार्थों का प्रचलन तथा अपराधी व्यवहार इन बस्तियों की सामान्य विशेषताएं हैं। औद्योगिक नगरों में दीमक की तरह बढ़ रही इन मलिन बस्तियों में मानव का जीवन अमानवीय दशाओं में व्यतीत हो रहा है।

मुख्य शब्द – मलिन बस्ती, झुग्गी–झोपड़ियों, अपराध, बाल अपराध ,वेश्यावृत्ति, अस्वस्थ जीवन, विचलनकारी व्यवहार, अस्वच्छता, उदासीनता, उपेक्षित क्षेत्र।

उद्देश्य –

1. मलिन अथवा गंदी बस्तियों के कारणों के बारे में चर्चा करना
2. मलिन अथवा गंदी बस्तियों की कौन–कौन सी समस्याएं हैं के बारे जानकारी प्राप्त करना।
3. गंदी बस्तियों के दुष्परिणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
4. इनके सुधार हेतु किये गए सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका के बारे में चर्चा करना।
5. मलिन बस्तियों में जीवन स्तर का विश्लेषण करना।
6. सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को समझना।
7. स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की स्थिति का अध्ययन करना।
8. समस्याओं के कारणों और समाधान को पहचानना।

प्रस्तावना

मलिन बस्तियाँ शहरी समाज का एक महत्वपूर्ण लेकिन गंभीर सामाजिक मुद्दा हैं। ये वे क्षेत्र हैं जहाँ लोग अत्यधिक घनी आबादी, अस्वच्छ वातावरण और सीमित संसाधनों के बीच जीवन यापन करते हैं। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, ग्रामीण–शहरी पलायन और आर्थिक असमानता ने इन बस्तियों को बढ़ावा दिया है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से मलिन बस्तियाँ सामाजिक स्तरीकरण, गरीबी और असमान विकास का परिणाम हैं।

मलिन बस्ती क्या है? इसे किसी एक वाक्य द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। कुछ विद्वान मलिन बस्ती को नगर

के एक रोगग्रस्त क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं, जबकि बर्गेल और अनेक दूसरे विद्वान केवल निम्न स्तर की आवासीय दशाओं वाले क्षेत्र को ही मलिन बस्ती मानते हैं। भारत में मलिन बस्तियों की प्रकृति को समझने के लिए इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी की मलिन बस्तियां नगर के बीच में स्थित उन मोहल्लों के रूप में हैं जो इतने घने बसे हुए हैं कि इनमें सीलन और बदबू से भरे एक–एक कमरे में पूरा परिवार निवास करता है। तंग गलियों के कारण इनमें हवा और रोशनी भी नहीं मिल पाती। पीने के पानी और नागरिक सुविधाओं का अभाव होने के कारण यह मोहल्ले संक्रामक बीमारियों के केन्द्र होते हैं। दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, जयपुर और कानपुर जैसे औद्योगिक नगरों में मलिन बस्तियों को अलग–अलग नामों से सम्बोधित किया जाता है। उदाहरण के लिए, मुम्बई में मलिन बस्तियों को 'चाल' कहा जाता है, जबकि कोलकाता में इन्हें केवल 'बस्ती' के नाम से पुकारा जाता है। कानपुर में ऐसी बस्तियां 'पुरवा, और 'अहाता' के नाम से जानी जाती हैं। चेन्नई में इनका नाम 'चेरी' तथा दिल्ली में यह क्षेत्र 'कटरा' के नाम से जाने जाते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में महाराष्ट्र में गन्दी अथवा मलिन बस्तियों की संख्या सर्वाधिक है जहां मुम्बई इन गन्दी बस्तियों का सबसे बड़ा केन्द्र है।

मलिन बस्तियों का दूसरा रूप उन झुग्गी–झोपड़ियों के रूप में देखने को मिलता है, जो औद्योगिक नगरों की बाहरी सीमा पर खाली पड़ी हुई भूमि पर अवैध रूप से विकसित हो जाती हैं। साधारणतया यह झुग्गी–झोपडियां बांसों, टीन के टुकड़ों, पॉलीथिन और कच्ची दीवारों की सहायता से तैयार की जाती हैं। इनमें शौचालय, पानी या बिजली की कोई सुविधा नहीं होती। नगर में शारीरिक श्रम करने वाले, खोमचा लगाने वाले तथा घरेलू काम करने वाले स्त्री–पुरुषों का एक बड़ा भाग इन्हीं मलिन बस्तियों में निवास करता है।

ए. आर. देसाई ने मलिन बस्ती के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है, "मलिन बस्तियां किसी नगर अथवा उप–नगर का वह भाग हैं जिसमें बहुत कम स्थान में अत्यधिक निम्न आर्थिक स्तर के सामान्य श्रम करने वाले लोग बहुत घने रूप से बसे होते हैं। डॉ. देसाई के अनुसार अर्द्ध–मानवता, निर्धनता और अस्वच्छता इन बस्तियों की विशेषताएं हैं।

मलिन बस्ती क्षेत्र कानून, 1956 में मलिन बस्ती को परिभाषित करते कहा गया है, "मलिन बस्ती का तात्पर्य उस आवासीय क्षेत्र से है जहां के आवास अत्यधिक भीड़ भरे हों नष्टप्राय दशा में हों, जहां प्रकाश और स्वच्छता का अभाव हो, आवास अनियोजित रूप से विकसित हों तथा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और नैतिकता के दृष्टिकोण से हानिकारक हों।''

मुम्बई में एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कहा गया है कि "मलिन बस्ती का तात्पर्य अनियोजित विकसित उस बस्ती से है जिसमें छोटे–छोटे या टूट–फूटे घरों में बिना किसी नागरिक सुविधाओं के निम्न वर्ग के बहुत अधिक व्यक्ति अस्वास्थ्यकारी दशाओं में निवास करते हैं।

मलिन बस्तियों की प्रकृति को इनकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के द्वारा समझा जा सकता है –

- **अनियोजित रूप से विकसित** – मलिन बस्तियों के रूप में विकसित होने वाले मोहल्ले अथवा क्षेत्र अनियोजित रूप से अपने आप विकसित हो जाते हैं। झुग्गी–झोपड़ियां खाली पड़ी हुई भूमियों पर बनने के कारण सबसे अधिक अनियोजित होती हैं।
- **अत्यधिक घनापन** – मलिन बस्तियों की एक विशेषता कम स्थान पर बहुत अधिक व्यक्तियों द्वारा साथ–साथ रहना है। यह क्षेत्र इतने घने होते हैं कि साधारणतया इनमें प्रवेश करने और इनसे निकलने का भी कोई समुचित मार्ग नहीं होता।
- **सामान्य निर्धनता** – इन बस्तियों में रहने वाले अधिकांश लोग शारीरिक श्रम पर निर्भर होते हैं, अतः उनका आर्थिक स्तर बहुत निम्न होता है। उनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वे सामान्य स्तर के आवास में रहने के लिए किराया दे सकें।
- **अस्वच्छता** – यह वे क्षेत्र हैं जिनमें चारों ओर कूड़े के ढेर लगे होते हैं। पानी की निकासी के अभाव में जगह–जगह गन्दा पानी भरा रहता है। शौचालयों की कमी के फलस्वरूप बस्ती का बाहरी क्षेत्र बहुत दुर्गन्धपूर्ण होता है तथा अधिकांश व्यक्तियों को स्नान करने या शरीर को स्वच्छ रखने की भी सुविधाएं नहीं मिल पातीं।

- **नागरिक सुविधाओं का अभाव** – साधारणतया सभी मलिन बस्तियों में पीने के पानी, बिजली, सफाई, सीवर लाइनों तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है, लेकिन इसका सबसे विषम रूप झुग्गी–झोपड़ियों वाले उन बड़े क्षेत्रों में देखने को मिलता है जो अनधिकृत रूप से विकसित हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप इन बस्तियों में व्यक्तियों का जीवन असुरक्षित होने के साथ ही अस्वास्थ्यकारी भी हो जाता है।
- **विचलनकारी व्यवहार** – अनेक दशाओं के प्रभाव से इन बस्तियों में अधिकांश निवासियों का जीवन मानसिक तनावों, कुंठाओं और चिन्ताओं से घिरा रहता है। इस दशा में नशीले पदार्थों का सेवन, अपराध, बाल अपराध तथा वेश्यावृत्ति जैसे विचलित व्यवहार बहुत–से लोगों के जीवन का अंग बन जाते हैं। डॉ. राधाकमल मुखर्जी ने लिखा है कि "यह बस्तियां वे स्थान हैं जिनमें मानवता का निर्दयता के साथ गला घोंटा जाता है, नारीत्व का अपमान होता है तथा आरम्भ से ही बच्चों के जीवन में जहर घोल दिया जाता है।
- **उपेक्षित क्षेत्र** – साधारणतया मलिन बस्तियों के क्षेत्र इसलिए उपेक्षित होते हैं कि यदि नियोजित प्रयत्नों के द्वारा किसी मलिन बस्ती को हटाकर उसके निवासियों का पुनर्वास कर दिया जाता है तो जल्द ही किसी दूसरे क्षेत्र में नई मलिन बस्तियां विकसित हो जाती हैं।
- **जीवन विधि की भिन्नता** – सभी तरह के अभावों के साथ ही, मलिन बस्तियों में विभिन्न परिवार और समूहों की जीवन विधि में अत्यधिक विभिन्नता देखने को मिलती है। इन बस्तियों में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, विश्वासों और आदतों के लोग साथ–साथ विषम परिस्थितियों में रहते हैं। विभिन्न समूहों के सामाजिक संगठन की प्रकृति भी एक–दूसरे से भिन्न होती है। इसके बाद भी सामान्य निर्धनता के आधार पर निवासियों को समानता की चेतना देखने को मिलती है।

मलिन बस्तियों के इन सभी लक्षणों से स्पष्ट होता है कि यह बस्तियां अर्द्ध–मानवीय दशाओं का प्रतिनिनिधित्व करती हैं। स्वतंत्रता के बाद कानपुर की मलिन बस्तियों को देखकर जवाहरलाल नेहरू ने यहां तक कह दिया था कि मानवीय पतन की चरम सीमा को स्पष्ट करने वाली इन मलिन बस्तियों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को मृत्यु–दण्ड दे देना चाहिए।

मलिन बस्तियों के कारण

भारत में मलिन बस्तियों के निर्माण और विकास के लिए बहुत–से कारण उत्तरदायी हैं। इनमें से कुछ प्रमख कारणों अथवा दशाओं को इस प्रकार समझा जा सकता ह–

1. **औद्योगीकरण तथा नगरीकरण** – मलिन बस्तियों के निर्माण का सबसे मुख्य कारण औद्योगीकरण तथा नगरीकरण में वृद्धि होना है। उद्योगों में काम करने के लिए गांवों और समीपवर्ती क्षेत्रों से आने वाले लोगों के पास इतने साधन नहीं होते कि वे नगर में किराए पर मकान लेकर उसमें रह सकें। कम मजदूरी के कारण वे या तो बहुत कम किराए वाले घनी बस्तियों के मकान में कोई छोटा–सा कमरा ले लेते हैं अथवा किसी खाली पड़ी हुई भूमि पर अनधिकृत रूप से झोपड़पट्टी का निर्माण करके उसमें रहने लगते हैं।
2. **मकानों की कमी** – औद्योगिक नगरों में भूमि की कमी के कारण मकानों का बहुत अभाव होता है। अनेक भू–स्वामी छोटी–छोटी कोठरियों वाले ऐसे मकान बना लेते हैं जिनमें किसी तरह की सुविधाएं नहीं होतीं। कम किराए के कारण श्रमिकों को इन्हीं मकानों में रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है।
3. **जनसंख्या में वृद्धि** – जनसंख्या वृद्धि के कारण एक ओर गांवों में बेरोजगारी बढ़ी तथा दूसरी ओर, नगरों में आवास की समस्या जटिल होती गयी। रोजगार पाने के लिए जब गांव से एक बड़ी संख्या में लोग नगरों की ओर प्रवास करते हैं तो उनके सामने किसी मलिन बस्ती में रहने के अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। इससे भी झुग्गी–झोपड़ियों की संख्या में वृद्धि होती रहती है।
4. **ग्रामीण बेरोजगारी** – भारत में जैसे–जैसे खेती का आधुनिकीकरण हुआ, भूमि पर काम करने वाले श्रमिकों की मांग कम होने लगी। औद्योगीकरण के प्रभाव से ग्रामीण उद्योग–धन्धों और तरह–तरह की दस्तकारियों लगे हुए ग्रामीण भी बेरोजगार होने लगे।

5. **सामान्य निर्धनता** – मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों का आर्थिक स्तर बहुत निम्न होता है। इन स्तियों में कारखानों में काम करने वाले अकुशल मजदूर, बोझा ढोने वाले, खोमचा लगाने वाले अथवा भन्न प्रतिष्ठानों में बहुत कम मजदूरी पर काम करने वाले लोग निवास करते हैं। अत्यधिक निर्धनता के रण वह किसी भी ऐसे स्थान पर धप और वर्षा से बचने के लिए एक टूटी–फूटी झोपड़ी बना लेते हैं जो कराए न देना पडे। सामान्य निर्धनता के कारण ही ऐसी बस्तियां गन्दगी का केन्द्र बनी रहती है।
6. **नगरों का आकर्षण** – पिछले कुछ समय से भारत की जनसंख्या के एक बड़े भाग में जो अवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। गांवों में निम्न जाति के लोग नगरों की ओर इसलिए बढ रहे हैं जिससे वे अपना व्यवसाय छोडकर कोई दूसरा रोजगार प्राप्त कर सके।
7. **मकान मालिकों द्वारा शोषण**–बडे–बड़े औद्योगिक नगरों जैसे – मुम्बई, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता है बेंगलुरु आदि में घनी बस्तियों के मकान मालिको का उद्देश्य केवल किराया प्राप्त करना होता है। गंदे और प्रदूषित स्थानों पर भी वे छोटे–छोटे कमरों के मकान बनाकर किराए की वसूली करते रहते हैं।
8. **क्षेत्रीय असन्तुलन** –भारत में नियोजित परिवर्तन के व्यापक प्रयत्न होने के बाद भी कुछ राज्यों निर्धनता की समस्या अधिक गम्भीर है। बिहार, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों की तुलना में निर्धनता कहीं अधिक है। इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग दूर–दूर के औद्योगिक क्षेत्रों में अनियोजित ढंग से प्रवास करने लगते हैं। नगर में आवास की कोई सुविधा न मिलने पर उनके सामने किसी खाली पड़ी हुई मलिन जगह पर झोपड़ी बनाने के अतिरिक्त कोई दूसरा चारा नहीं होता।
9. **स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता** – मलिन बस्तियों की समस्या उन व्यक्तियों से सम्बन्धित है जिनमें स्वास्थ्य और सफाई के प्रति किसी तरह की चेतना नहीं होती। दिनभर काम करने की थकान के बाद उन्हें यह सोचने का भी समय नहीं मिलता कि उनके आवास के चारों ओर की गन्दगी उनके स्वास्थ्य को कितनी हानि पहुंचा सकती है। सच तो यह है कि गन्दगी में जीवन बिताना उनकी आदत बन जाती है।
10. **भू–माफियाओं के स्वार्थ** – मलिन बस्तियों का एक प्रमुख कारण समाज के अपराधी गिरोहों और भू–माफियाओं के स्वार्थ हैं। यह लोग पहले नगर के बाहरी क्षेत्रों में पड़ी हुई सरकारी या व्यक्तिगत भूमियों पर अपना कब्जा करते हैं और बाद में वहां छोटी–छोटी झोपड़ियों का निर्माण करके उन्हें किराए पर उठा देते हैं।
11. **सरकार की उदासीनता** – आज सभी औद्योगिक नगरों में विकास प्राधिकरणों के द्वारा नगरों का नियोजित रूप से विकास करने का प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन सार्वजनिक भ्रष्टाचार के कारण मलिन बस्तियों के अवैध निर्माण में होने वाली वृद्धि में किसी तरह की कमी नहीं हुई। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में सरकार द्वारा बहुत कम मकानों का निर्माण किया गया। इसका अर्थ है कि आवासीय समस्या के प्रति सरकार की उदासीनता भी मलिन बस्तियों के निर्माण का एक मुख्य कारण है।

गन्दी बस्तियों के दुष्परिणाम

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद तीसरी दुनिया के जिन देशों ने साम्राज्यवाद से मुक्ति पाकर अपना औद्योगिक विकास आरम्भ किया, उनमें तेजी से बढ़ती हुई मलिन बस्तियों के फलस्वरूप समाज में अनेक गम्भीर समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत में मलिन बस्तियों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष दिया कि आर्थिक तनाव, नागरिक सुविधाओं का अभाव, नैतिक पतन और वैयक्तिक विघटन मलिन बस्तियों के प्रमुख दुष्परिणाम हैं। डॉ. ब्राइस ने लिखा है कि "इन मलिन बस्तियों का सबसे बड़ा दुष्परिणाम, निवासियों का सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक विघटन है।"

1. **अस्वस्थ जीवन** – मलिन बस्तियों का एक मुख्य दुष्परिणाम इनके निवासियों के लिए स्वास्थ्य का खतरा और बढ़ती हुई बीमारियां हैं। मनुष्य को स्वस्थ्य रहने के लिए शुद्ध वायु, प्रकाश, पानी और सफाई आवश्यक दशाएं हैं।
2. **कुशलता में कमी** – अस्वास्थ्यकारी दशाओं में रहने के कारण इनमें रहने वाले लोगों को न तो स्वस्थ मनोरंजन मिल पाता है और न ही शुद्ध वायु के अभाव में उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। धीरे–धीरे इससे उनकी कार्यकुशलता

कम होने लगती है। उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की कार्यकुशलता कम हो जाने से उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

3. **नैतिक पतन** – मलिन बस्तियां साधारणतया अनैतिकता का केन्द्र बन जाती हैं। अत्यधिक निर्धनता के कारण बहुत–सी स्त्रियों और बच्चों को अपनी साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनैतिकता का सहारा लेना पड़ता है। डॉ. राधाकमल मुखर्जी ने मिदनापुर से बंगाल की जूट मिलों में काम करने के लिए वाली स्त्रियों में से 30 प्रतिशत से अधिक स्त्रियों को वेश्यावृत्ति में संलग्न पाया। इन बस्तियों में छोटा–सा नगर में परिवार के सभी सदस्यों के साथ–साथ रहने के कारण बच्चों को वयस्क सदस्यों के ऐसे सभी व्यवहार अपराधों के रूप में विकसित हो जाती है।
4. **पारिवारिक विघटन** – मलिन बस्तियों का एक दुष्परिणाम पारिवारिक विघटन के रूप में देखने को मिलता है। इन बस्तियों में पति–पत्नी के बीच पारस्परिक अविश्वास बढ़ने से सामंजस्य कम होने लगता है। बच्चे कम आयु से ही अनुशासनहीन और उच्छृखल बनने लगते हैं।
5. **वैयक्तिक विघटन** – मलिन बस्तियों का वातावरण वैयक्तिक विघटन का प्रमुख कारण है। इन बस्तियों में घुटन, तनाव और कुण्ठा से भरी हुई जिन्दगी के कारण व्यक्ति शराब और मादक द्रव्यों के व्यसन का जल्दी ही आदी बन जाता है। दिल्ली की एक मलिन बस्ती के अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि उसमें 60 प्रतिशत से भी अधिक व्यक्ति स्मैक और दूसरे मादक पदार्थों के सेवन के शिकार थे। जुए की प्रवृत्ति, वेश्यावृत्ति मानसिक दुर्बलता, निराशा, दुर्व्यवहार, सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन तथा अवैध तरीकों से आजीविका का उपार्जन आदि दशाएं इन बस्तियों में वैयक्तिक विघटन की दशा को स्पष्ट करती हैं।
6. **अपराधों में वृद्धि** –डॉ. मेहता ने लिखा है कि सामान्य से लेकर गम्भीर अपराध, गिरोहबन्दी, तस्करी, चोरी तथा राहजनी मलिन बस्तियों के प्रमुख लक्षण हैं। इन बस्तियों के वातावरण में लोग अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल्दी ही अपराधी गिरोहों के सदस्य बन जाते हैं।
7. **मनोवैज्ञानिक असुरक्षा** – व्यक्तियों में मनोवैज्ञानिक असुरक्षा उत्पन्न करके मलिन बस्तियां लोगों के नैतिक स्तर को इतना गिरा देती हैं कि उनमें उचित और अनुचित का बोध ही नहीं रह जाता। इन बस्तियों का पर्यावरण व्यक्तियों में स्नायविक दुर्बलता पैदा करके तथा भय की प्रवृत्ति को विकसित करके उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ बना देता है।
8. **प्रदूषण में वृद्धि मलिन** – बस्तियां स्वयं अस्वास्थ्यकारी क्षेत्रों में विकसित होती हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में इन बस्तियों का निर्माण होता है, वहां जल–प्रदूषण और मृदा प्रदूषण में और अधिक वृद्धि होने लगती है।
9. **राष्ट्रीय हानि** – मलिन बस्तियों में श्रमिकों के स्वास्थ्य का स्तर निम्न होने के कारण कार्यकुशलता घट जाने से उत्पादन में कमी होती है। औद्योगिक नगरों में बहुत–सी सरकारी भूमि अवैध रूप बनी बस्तियों के रूप में बदल जाती है। इन बस्तियों की संस्कृति आन्दोलनकारी प्रवृत्ति को बढ़ाकर प्रशासन सामने समस्याएं उत्पन्न करती है। यह सभी दशाएं राष्ट्र के लिए होने वाली हानि को स्पष्ट करती हैं।

मलिन बस्तियों के दुष्परिणामों को डॉ. एस. सी. अग्रवाल के कथन के सन्दर्भ में सरलतापूर्वक समझा कता है। उनके अनुसार ''समाज में अच्छी आवास व्यवस्था एक सुखी पारिवारिक जीवन, मानवीय ता और सामाजिक स्वास्थ्य का आधार है, जबकि मलिन और बुरा आवास अस्वच्छता, बीमारियों अनैतिकता तथा अपराधों को जन्म देने के साथ ही उन जेलों और मानसिक चिकित्सालयों को भी बढ़ाना जो सामाजिक जीवन की घुटनभरी जिन्दगी के प्रतीक होते हैं।''

समस्या के समाधान में सरकार के प्रयत्न

अधिकांश अनुमानों के अनुसार भारत के विभिन्न नगरों में इस समय लगभग 4.5 करोड़ व्यक्ति मलिन बस्तियों की झुग्गी–झोपड़ियों में रह रहे हैं। विशाल और महानगरों के फुटपाथों और पार्कों में सोने वाले लोगों की संख्या भी लगभग 01 करोड़ से अधिक है। इसके अतिरिक्त नगरों में एक बड़ी संख्या उन लोगों की है, जो घने बसे हुए पुराने मोहल्लों के टूटे–फूटे मकानों में मलिन बस्तियों की तरह ही जीवन व्यतीत कर रह हैं। देश में आवासीय समस्या का

समाधान करने के लिए सरकार ने मलिन बस्तियों का सुधार और उन्मूलन करने कार्य सरकार ने सन् 1956 में ही आरम्भ कर दिया था लेकिन आर्थिक साधनों की कमी तथा नगरीकरण की तीव्र वृद्धि के कारण इस कार्य में कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं पायी जा सकी। इस दशा में मलिन बस्तियों के सुधार की वास्तविक प्रक्रिया 1990 के बाद आरम्भ हो सकी।

1. **राष्ट्रीय आवास निधि** –सन् 1994 में भारत सरकार ने एक 'राष्ट्रीय आवास निधि' का निर्माण किया। इसका उद्देश्य आवास से वंचित लोगों को मकान की सुविधा उपलब्ध कराना, वर्तमान आवासीय दशा में सुधार करना तथा मलिन बस्तियों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
2. **राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पुनर्वास नीति** – वर्ष 2007 में एक व्यापक सर्वेक्षण के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि देश के नगरीय क्षेत्रों में 24.7 लाख आवासों की कमी है। शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी, जल–निकासी की व्यवस्था, सफाई की सुविधाओं, बिजली तथा कचरे के निस्तारण की गम्भीर समस्या नगर के निर्धन वर्गों के क्षेत्र में अधिक है। इस नीति के द्वारा सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में श्रमिकों तथा औद्योगिक क्षेत्र के लोगों की आवासीय सुविधाओं में सुधार लाना मुख्य उद्देश्य रखा गया।
3. **जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण अभियान** – भारत की नगरीय संरचना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नगरीय संरचना है। इसे ध्यान में रखते हुए दिसम्बर 2005 से भारत में यह अभियान इस उद्देश्य से आरम्भ किया गया कि नगर के सभी क्षेत्रों में अत्यधिक निर्धन लोगों को आवास की बुनियादी सुविधाएं देने के साथ ही नगर की आवासीय संरचना में सुधार लाया जाए। यह अभियान वर्ष 2012 तक पूरा होना था लेकिन अब इसे वर्ष 2014 तक के लिए बढ़ा दिया गया।
4. **शहरी गरीब आवास के लिए ब्याज छूट योजना** – यह योजना दिसम्बर 2008 से आरम्भ हुई। इसका उद्देश्य नगर के निर्धन लोगों को दीर्घकालीन ऋण के रूप में आर्थिक मदद देना है। बहुत कमजोर लोगा मकान बनाने के लिए 5 प्रतिशत ब्याज पर आवास के लिए एक लाख रुपए तक के ऋण की व्यवस्था गयी।
5. **निम्न लागत की स्वच्छता योजना**– वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय क्षेत्रा का बस्तियों में 2 लाख से भी अधिक परम्परागत ढंग के शुष्क शौचालय पाए गए। उन लोगों की संख्या ना अधिक पायी गयी जिन्हें शौचालय की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस दशा में सुधार करने का सरकारों को विशेष आर्थिक साधन उपलब्ध कराए गए जिससे मलिन बस्तियों को स्वच्छ बनाया जा सके।
6. **शहरी भूमि सीमा कानून** – मलिन बस्तियों के निवासियों को आवास के लिए भूमि उप के उद्देश्य से सरकार द्वारा शहरी भूमि सीमा कानून लागू किया गया। इसका उद्देश्य नगरी में निर्धारित सीमा से अधिक की भूमि का सरकार द्वारा अधिग्रहण करके इसे उन लोगों में वितरित करना है ।
7. **वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना** – यह योजना वर्ष 2001 से केन्द्र सरकार द्वार गयी। इसका उद्देश्य नगर की मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए मकान की व्यवस्था करना उनकी आवासीय दशाओं में सुधार लाना है।

उपर्युक्त प्रयत्नों के अतिरिक्त मध्यम स्तर के नगरों तथा महानगरों में नगरों के सन्तुलित विकास के लिए समय–समय पर अनेक योजनाएं लागू की गयीं। मलिन बस्तियों के सुधार से सम्बन्धित सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिन मलिन बस्तियों का नियमितीकरण करके बहुत बड़ी संख्या में इनसे सम्बन्धित लोगों के लिए छोटे आवासों की व्यवस्था की गयी, कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने मकानों को बेचकर किसी दूसरी मलिन बस्ती में अपने लिए फिर से एक झुग्गी–झोपड़ी बनाकर रहना आरम्भ कर दिया।

गन्दी बस्तियों के सुधार हेतु सुझाव

आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा गन्दी बस्तियों का सुधार करने के क्षेत्र में सरकार ने व्यापक प्रयत्न अवश्य किए हैं लेकिन इन प्रयत्नों के द्वारा समस्या का समाधान करने में अधिक सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी। भारत में

गन्दी बस्तियों का सुधार करने उन्हें बढ़ने से रोकने तथा आवासीय समस्या का समाधान करने के लिए निम्नांकित सुझाव अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं –

1ण सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि दुर्बल वर्गों श्रमिकों तथा भूमिहीन लोगों को आसान शर्तों और कम ब्याज पर ऋण प्राप्त करने की अधिक सुविधाएं दी जायें जिससे वे अपने लिए छोटे–से–मकान का निर्माण कर सकें।

2ण उद्योगों का इस तरह विकेन्द्रीकरण करना आवश्यक है जिससे एक ही स्थान पर अधिक उद्योगों की स्थपना न हो। इससे बड़े नगरों में जनसंख्या का आप्रवास रुकेगा तथा गन्दी बस्तियां विकसित नहीं हो सकेंगी।

3ण औद्योगिक नगरों के बाहर नियोजित ढंग से छोटे मकानों वाले उप–नगरों के निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे एक ओर नगर के अन्दर घनी और गन्दी बस्तियां विकसित नहीं होगी तथा दूसरी ओर सरकारी भूमि पर होने वाले अवैध कब्जों को रोका जा सकेगा।

4ण नगरों से बाहर बसायी जाने वाली बस्तियों से नगर में काम पर आने के लिए यातायात की समुचित सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इससे श्रमिकों और दुर्बल वर्गों के लोगों को औद्योगिक उप–नगरों में रहने में कोई असुविधा नहीं होगी।

5ण नगरों में भूमि सीमा कानून को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करना आवश्यक है। विशेष न्यायालयों की स्थापना के द्वारा इस कानून के अन्तर्गत अधिग्रहण की गयी भूमि से सम्बन्धित मामलों का निपटारा कम समय में करके समस्या के समाधान में काफी सहायता मिल सकती है।

6ण सरकार द्वारा आवास की समस्या का समाधान करने के लिए बनाये जाने वाले कार्यक्रमों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय आवास नीति के अन्तर्गत जो कार्यक्रम बनाये जायें उन्हें प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करना आवश्यक है।

7ण आवासीय सुविधाओं को बढ़ाने तथा गन्दी बस्तियों का सुधार करने के लिए योजनाओं का व्यावहारिक होना आवश्यक है। यह भी जरूरी है कि गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए राज्य सरकारों तथा नगरपालिकाओं का जो अनुदान दिये जायें उनका उपयोग समुचित रूप से हो।

8ण कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए कारखानों के मालिकों द्वारा भी आवास की सुविधा उपलब्ध कराने से गन्दी बस्तियों को बढ़ने से रोका जा सकता है।

9ण यह भी आवश्यक है कि कारखानों, प्रतिष्ठानों तथा अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी कार्यक्रम को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जाये। समाज के दुर्बल वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने से आवासीय समस्या का स्वयं ही निराकरण हो सकता है।

निष्कर्ष –

उपरोक्त शोध आलेख से स्पष्ट होता है कि गांवों में रोजगार के अवसरों की कमी तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण गांवों से नगरों की ओर पलायन होगा निश्चित ही गंदी बस्तियों में वृद्धि होगी।

संदर्भ सूची

1. भारत (2017) सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
2. भारत सरकार (2016). दिशा–निर्देश, प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिए आवास–शहरी), आवास और शहरी गराबी उपशमन मंत्रालय, नई दिल्ली.
3. Bhatnagar, M. (2010). Urban Slums and Poverty, Jaipur: Ritu.
4. S.C. Agrawal, Industrial Housing in India.
5. G.K. Agrawal, Introducing Sub-Sociologies, Agra
6. Burgell, E- E- (1955). Urban Sociology], New York: MacGraw Hill.
7. Gulati. S. C., Tyagi, R. P. and Sharma, Suresh (2003). Reproductive Health in Delhi Slums, Delhi Publishing Corpororation.

8. Government of India (2013). Primary Abstract for Slum, 2011, Office of Registrar General and Sansex Commissioner, New Delhi.
9. Mittal, Satish and Saxsena, Sushil (2012). Urban Sociology, Commonwealth. flag] oh- ,u- ,oa flag] tuest;] ¼2005½- uxjh; lekt'kkL=] fnYyh% foosd